न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

मु.नं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
226/16	1.8.2016	27.11.2017

अनुवाद

[1] अमरसिंह पुत्र तुल्ला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०) - वादी

बनाम

[1] श्रीराम
[2] रतिराम
[3] जयसिंह
[4] रामसिंह पुत्रान तुल्ला जाति गुर्जर निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[5] एस० बी० आई० शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक
[6] पी० एन० बी० कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक
[7] राज० सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड रिकार्ड कोटकासिम जिला अलवर (राज०) - प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन हक मय दुरुस्ती इन्द्राज अं.धा. 88,89 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित -
[1] श्री सिद्धान्त रतन चतुर्वेदी अभिभाषक वादी

वादी ने मय वकील उपस्थित होकर एक वाद इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नं. 178/0.20, 197/0.48, 361/0.16, 383/0.13, 394/0.06, 462/0.20, 496/0.23, 564/0.28, 580/0.06, 608/0.15, 632/0.33, 663/0.16, 744/0.20, 758/0.10, 773/0.25, 804/0.30, 845/0.35, 848/0.43, 916/256/0.06, कुल किता 19 कुल रकबा 4.13 हैक्टेयर खसरा नं. 1029/306/0.51

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

DISTT COLLECTOR (L.R.) ALWAR

लगातार

1030/306/0.91 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर
वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम में वादी एवं प्रतिवादीगण
1 लगा. 5 की शामलाती कब्जा काश्त खातेदारी की शामलाती की
आराजीयात है। जिस पर हम पक्षकारान मौके पर 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5
हिस्सा पर शांति पूर्वक अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज
व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर हमारा ही
कब्जा काश्त है। विवादित आराजी हमें अपने पिता से विरासत में
प्राप्त हुई है। विवादित आराजी ख.नं. 1029/306, 1030/306 हमारे
हमारे पिता की कब्जे काश्त आराजी रही है। जिसकी खातेदारी अधिकार
प्राप्त करने हेतु हमारे पिता ने कार्यवाही की थी। लेकिन सहवन से
प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश परिवार में सबसे बड़ा था इस कारण खातेदारी
प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। जिसमें हम वादी एवं
प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 बराबर-बराबर के हिस्सेदार है। तथा इसी
अनुसार काबिज काश्त है। विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में
भिन्न वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 पक्षकारानका सम्भाग हिस्सा
का अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष उपस्थित होकर
कई मर्तबा निवेदन किया लेकिन हर बार प्रतिवादी निज वादी से टाल.
टाल करते रहे व साफ तौर से इन्कार हो गये। इसलिये वादी
विवादित आराजीयात में सम्भाग का अमल दरामद कराने का
अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब
किया गया। प्रतिवादी गण ने राजस्व कोर्ट में भी उपस्थित होकर
मौखिक रूप से वादी का वाद मुताबिक वादी के कथन अनुसार
दुरुस्त करने को कहा लेकिन कोर्ट में समस्त प्रतिवादीगण उपस्थित
नहीं थे। न्यायालय हाजा में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 उप.
हुए और मुताबिक वाद डिक्री करने पर अपनी सहमति प्रकट
की। आदेशिका में सहमति की उपस्थिति दर्ज की।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।
जमाबन्दीयात के अवलोकन जाहिर है कि विवादित आराजीयात
सम्भाग अनुपात में अंकित नहीं है जैसा कि वाद पत्र में कहा गया है

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार

जमाबन्दी सं. 2073-2073 का अवलोकन किया जिसमें विवादित आराजीयात खाता सं. 134 में रतीराम, जयसिंह, रामसिंह, अतरसिंह पुत्रान तुलसा गुर्जर सा. देह व खाता सं. 218 में श्री राम पुत्र तुलसा कौम गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसे दुरुस्त कराने की लिखित बाद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त नामान्तरण इन्द्राज को दुरुस्त कराने हेतु वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 का समस्त विवादित आराजीयात में बराबर दर्ज कराने का आग्रह किया। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजीयात का बराबर-2 विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक मौखिक राजीनामा उक्त बावत डिक्री किया जाता है कि जमाबंदी सं. 2070-2073 में दर्ज खाता सं. 134 व 218 में समस्त ख. नम्बरान में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 के नाम 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 भाग का इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पक्षों डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

संशोधन

7/3/18 आदेश दिनांक 27.11.17 में सहवन से ख.नं. 580 लिखा गया जिसके स्थान पर ख.नं. 590 पढा जावे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी- श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S.

मुकदमा नं. 226/16 — निर्णय दिनांक - 27.11.2017

दायरा दिनांक - 1.8.2016

अनुवान

[1] अतर सिंह पुत्र लल्ला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.) — वादी

बनाम

[1] श्रीराम
[2] रतीराम
[3] जयसिंह
[4] रामसिंह पुत्रान लल्ला जाति गुर्जर निवासी खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
[5] एस. बी. आई. शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक
[6] पी. एन. बी कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक
[7] राज. सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम (अलवर) राज.

दावा इस्तकरारहक अज दुरुस्ती इन्द्राज
अं. धा. 88, 89, राज. टी. ए. 1955.

अत: वादी का वाद मुताबिक मौखिक राजीनामा इस कदर डिक्री किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में दर्ज खाता सं. 134 व 218 के समस्त खसरा नम्बरान में पूर्व में आये इन्द्राज को हटाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के नाम 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 भाग का इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

सं० शो०

7/3/18 आदेश दिनांक 27.11.17 के पालन में ख० नं० 580 लिखा गया उसके स्थान पर ख० नं० 590 461 पढ़ा जावे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिका
कोटकासिम (अल

याया

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,......................

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ....

राजीनामा

सेवामें, दिनांक ....

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,,

....

......अतरसिंह...............बनाम ....श्रीराम.......................

प्रकरण संख्या :– ....अन्तर्गत धारा ....

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री .... का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :– ....

....

....

....

....

....

....

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. अतरसिंह..........................

2. ....

3. ....

4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. श्रीराम..........................

2. [illegible]..........................

3. ....

4. ....

[illegible] जयसिंह [illegible] रामसिंह

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

(वादी पक्ष) नाम ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

(प्रतिवादी पक्ष) नाम [illegible]
([illegible])

प्रार्थी/वादी ....एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हरवख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

( )
पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner